निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या : 145/2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय बौराड़ी (नई टिहरी) **द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।**

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय बौराड़ी (नई टिहरी) **के माह 03/2014 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री** एस.के. गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भानुप्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक **द्वारा दिनांक 31-01-2017 से 03-02-2017 तक सम्पादित किया गया।**

भाग-I

(ii) **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस.के. जौहरी, श्री हिमाशुँमणि , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.03.2014 से 15.03.2014 तक श्री ए.सी. कटियार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 07/2008 से 02/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2014 से 12/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** इकाई द्वारा जनपद में चिकित्सा, टीकाकरण, परिवार कल्याण एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों, योजनाओं का सम्पादन, अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण जनपद (नई टिहरी) है।

(iii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	-	-	437.76	380.86	8.10	7.64	-	56.90	-	0.46
2015-16	-	-	467.39	433.21	3.14	3.09	-	34.18	-	0.05
2016-17 (12/2016)	-	-	539.06	447.05	2.91	1.35	-	92.01	-	1.56

नोट : अ) प्रत्येक 31 मार्च को बचत की धनराशि समर्पित कर दी जाती है।

ब) उपरोक्त आय–व्यय विवरण में केन्द्र एवं राज्य दोनों के अंतर्गत संचालित योजनाएं समाहित है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित **योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः**

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष `**	**प्राप्त `**	**व्यय `**	**व्यय अधिक्य (-) `**	**बचत (-) `**
2014-15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17 (12/2016 तक)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोट : बजट एकमुश्त सी.एम.ओ. टिहरी कार्यालय से प्राप्त होता है।

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। **गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई** 'सी' **श्रेणी की है।** विभाग **का संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है:-**

प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्थास्थ्य

सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

महानिदेशक

निदेशक

अपर निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

संयुक्त निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी

चिकित्सा अधिकारी

मिनिस्टिरियल संवर्ग

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय बौराड़ी (नई टिहरी) को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय बौराड़ी (नई टिहरी) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 08/2014 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

(इस भाग में नियमितता से संबंधित मामले/विशिष्ट विषयों के मामले एवं औचित्य से संबंधित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित किये जांय)

शून्य

<u>भाग-II 'ब'</u>

(इस भाग में नियमितता तथा औचित्य दोनों से संबंधित प्रासंगिक लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित होंगे। यदि सम्भव हो, तो लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उनके महत्व तथा विशिष्टता के आधार पर घटते क्रम में बनाया जाय)

प्रस्तर 1 : बीमा कम्पनी के बंद हो जाने एवं समय पर प्रतिपूर्ति नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप रू0 6.53 लाख की हानि।

<u>STAN</u>

प्रस्तर 1 : दवा आपूर्तिकर्ता फर्मों को शासनादेश के दिशा–निर्देश के विपरीत शत–प्रतिशत रू0 52.52 लाख का अनियमित भुगतान।

प्रस्तर 2 : निर्धारित तिथि के अन्दर भुगतान न किए जाने के परिणामस्वरूप रू0 12.06 लाख का अनियमित व्यय।

प्रस्तर भाग 2 ब

प्रस्तर 1 : बीमा कम्पनी के बंद हो जाने एवं समय पर प्रतिपूर्ति नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप रू0 6.53 लाख की हानि।

उत्तराखण्ड राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को संचालित किए जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 100–XXXVIII-4-2015-58/2014 TC दिनांक 10.02.2015 में निर्देश निर्गत किए गये थे। निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारम्भ दिनांक 26.01.2015 से किया गया, जिसके आदेश के बिन्दु संख्या 5 (1) एवं (2) के अनुसार रू0 50,000 तक के लाभ के लिए निर्धारित प्रीमियम दर रू0 335X कुल आर.एस.बी.आई. आच्छादित परिवारों की संख्या का 25 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा आर.एस. बी.आई. आच्छादित परिवारों के अतिरिक्त एम.एस.बी.वाई. के अंतर्गत आच्छादित परिवारों की संख्या का शत–प्रतिशत प्रीमियम की धनराशि को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत अनुबन्धित बीमा कम्पनी ''मिडसेव'' के समक्ष पूर्व प्राधिकृत स्थिति में 335 मरीजों के इलाज पर रू0 6.53 लाख का दावा प्रस्तुत किया गया। पोस्ट अथोराईजेशन हेतु कार्यालय द्वारा रू0 20.30 लाख के दावे को समायोजित करने हेतु भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई, परन्तु जुलाई 2016 के पश्चात् बीमा कम्पनी की सेवाएं समाप्त कर दूसरी बीमा कम्पनी ''बजाज एलाइंज'' से अनुबंध गठित किया गया। वर्तमान में पूर्व बीमा कम्पनी ''मिडसेव'' बंद हो चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा अवधि तक रू0 6.53 लाख की प्रतिपूर्ति बीमा कम्पनी से नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि चिकित्सालय द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु बीमा कम्पनी को विवरण प्रेषित किया गया था परन्तु अभिलेखों के अपूर्ण रहने के कारण प्रतिपूर्ति नहीं हो पाई। वर्तमान में बीमा कम्पनी बंद हो गई है जिसके कारण प्रतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अभिलेखों को ईलाज के दौरान ही पूर्ण किया जाना चाहिए था तथा समय पर ही बीमा कम्पनी से उसकी प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए थी।

अतः बीमा कम्पनी से समय पर प्रतिपूर्ति न किए जाने के परिणामस्वरूप रू0 6.53 लाख की हानि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1 : दवा आपूर्तिकर्ता फर्मों को शासनादेश के दिशा–निर्देश के विपरीत शत–प्रतिशत रू0 52.52 लाख का अनियमित भुगतान।

शासनादेश संख्या 1284 / XXVII-5 / 2008–24 / 2003 दिनांक 28 अक्टूबर 2009 एवं 932 / XXVIII-4-2014-28 (8)/2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 बिन्दु सं0 31 के अनुसार जिन औषधियों का रैंडम सैंपल लिया गया है उससे सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म को 90 प्रतिशत औषधि मूल्य का भुगतान औषधि की मात्रा सुरक्षित गन्तव्य स्थल तक पहुंचने के 30 दिन के भीतर कर दिया जाना होगा एवं शेष 10 प्रतिशत का भुगतान औषधि की गुणवत्ता सम्बन्धी जांच आख्या प्राप्त होने के बाद 30 दिन के अंदर किया जायेगा।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बौराड़ी नई टिहरी के संप्रेक्षा के दौरान दवाओं के क्रय से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में विदित हुआ कि संप्रेक्षा अवधि (मार्च 2014 से मई 2015) के दौरान दवाओं के स्थानीय स्तर पर खरीद हेतु 09 बैठक हुई थी, जिनका विवरण इस प्रकार था–

सारणी–क

वर्ष / क्रय समिति की बैठक तिथि	दवाओं की खरीद का मूल्य (रू0 में)	भुगतान प्रतिशत (%)
2014–15		
04.06.2014	564908	100
19.07.2014	259036	100
29.01.2015	193100	100
23.02.2015	784697	100
26.03.2015	887398	100
2015–16		
04.06.2015	674690	100
01.09.2015	735451	100
13.01.2016	492990	100
2016–17		
15.09.16	659240	100
योग	**5251510**	

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सलय, बौराड़ी नई टिहरी के केंद्रीय औषधि भंडार से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि चिकित्सालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 (दिसम्बर तक) कुल रू0 52.51 लाख की औषधियां क्रय की गयी थीं जिनका वर्षवार विवरण सारण ''क'' में दिया गया है।

लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए :

चिकित्सालय द्वारा क्रय की गई समस्त औषधियों का भुगतान औषधियों के प्राप्त होते ही शत–प्रतिशत एक बार में ही किया जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप जहां एक ओर आपूर्तिकर्ता फर्म को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाए जाने की सम्भावना बनी रहती है वहीं दूसरी ओर औषधियों की निम्न गुणवत्ता प्राप्त होने पर उसके एवज में वापसी एवं पुनः आपूर्ति की सम्भावना भी खत्म हो जाती है।

इस प्रकार, औषधि क्रय करने में उक्त शासनादेशों का पूर्णतः पालन न किए जाने के कारण रू0 52.51 लाख का औषधि क्रय अनियमित था।

संप्रेक्षा द्वारा आपूर्तिकर्ता फर्मों को शत–प्रतिशत भुगतान शासनादेश के दिशा–निर्देश के विपरीत किए जाने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बतलाया कि भविष्य में अनुपालन किया जाएगा। संप्रेक्षा को उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि पूर्व में आपूर्तिकर्ता फर्मों को शत–प्रतिशत भुगतान शासनादेश के दिशा–निर्देश के विपरीत किया जा चुका है, जिसे अब नियमित कर पाना संभव नहीं है।

इस प्रकार दवा आपूतिकर्ता फर्मों को शासनादेश के दिशा–निर्देश के विपरीत शत–प्रतिशत रू0 52.52 लाख के अनियमित भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2 : निर्धारित तिथि के अन्दर भुगतान न किए जाने के परिणामस्वरूप रू0 3.30 लाख का अनियमित व्यय।

जननी सुरक्षा योजना का प्रारम्भ 2005–06 में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना था जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु की दर को कम किया जा सके। जननी सुरक्षा येाजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रसव की संभावित तिथि के 16 से 20 सप्ताह पूर्व जे.एस.वाई. कार्ड भरा जाना चाहिए, प्रसव की संभावित तिथि सेपूर्व पूर्ण भरे हुए जे.एस.वाई. कार्ड स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए साथ ही प्रसव के सात दिन पूर्व अथवा प्रसव के सात दिन तक लाभार्थी को रू0 1400 का भुगतान किया जाना चाहिए। उक्त अवधि के पश्चात् किया गया समस्त भुगतान अवैध माना जायेगा।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बौराड़ी नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल के जननी सुरक्षा योजना से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2014–15 से 2016–17 (दिसम्बर 2016) में कुल 1034 लाभार्थियों हेतु रू0 14,10,4000.00 की धनराशि प्रदान की गई। जिनमें से 236 लाभार्थियों को निर्धारित अवधि प्रसव के 07 दिन उपरान्त क्रय धनराशि रू0 3.30 लाख का अनियमित भुगतान किया गया था।

निर्धारित तिथि के अन्दर 236 लाभार्थियों को भुगतान न किए जाने के परिणामस्वरूप विलम्ब में प्रदत्त धनराशि रू0 3.30 लाख अनियमित सिद्ध हुई। लेखापरीक्षा में आगे जांच में यह भी पाया गया कि उक्त अवधि में अधिकतर प्रकरणों में जननी सुरक्षा योजना कार्ड प्रसव के समय या प्रसव के बाद भरे गए थे, जबकि नियमानुसार जे.एस.वाई कार्ड प्रसव की तिथि से 16 से 20 सप्ताह पूर्व भरे जाने चाहिए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बौराड़ी नई टिहरी ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए उत्तर में अवगत कराया कि इस हेतु पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगें जिससे भविष्य में विलम्ब से भुगतान न हो। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा क आपत्ति की स्वमेव पुष्टि हो जाती है।

अतः निर्धारित तिथि के अन्दर भुगतान न किए जाने के परिणामस्वरूप रू0 3.30 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**	इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि विगत लेखापरीक्षा के लंबित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या महालेखाकार (ले.प. देहरादून) कार्यालय को प्रेषित कर दिया जायेगा।
IC/S/163/2006-07	शून्य	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	
IC/S/58/278/2008-09	शून्य	1, 2, 3	
202/2013-14	1	1, 2, 3	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

1. औषधि की स्टॉक पंजिकाओं का रख–रखाव उचित ढंग से किया जा रहा था।
2. चिकित्सालय में यूजर चार्जेज की रसीद बुकों एवं उससे सम्बन्धित पंजिकाओं का रख–रखाव उचित ढंग से किया गया था।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय बौराड़ी (नई टिहरी) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः-** शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1	डा. डी.एस. सावंत	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	15.09.2007 से 16.10.2014
2	डा. बी.सी. काला	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	17.10.2014 से 04.12.2016
3	डा. सी. पी. त्रिपाठी	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	30.12.2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय बौराड़ी (नई टिहरी) को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय-महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)